तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शैतानसिंह. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 219/2023 ( )	
09.11.23	अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.07.2023. में उसके द्वारा (1) दिनांक 20.04.23 को शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह द्वारा ग्राम पंचायत हनवंतनगर में पम्प चालकों व ग्राम पंचायत सहायकों के बकाया पड़े वेतन का 12 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करवाने के संबंध में जिलाधीश जोधपुर की सेवा में पेश प्रार्थना पत्र पर जिलाधीश जोधपुर द्वारा की गई सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1172 दिनांक 31.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) कि प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2023 इस कार्यालय में आना नहीं पाया गया, जिसके अभाव में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी शैतानसिंह का सूचना का अधिकार अधि. के तहत आवेदन कार्यालय में आना नहीं पाया गया अतः अपील इस स्टेज पर अस्वीकार योग्य होने से निरस्त की जाती है *आदेश की* प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	